

अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन के बाद वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसार तहसील हनुमानगढ़ के चक 5 के एन.जे. के खाता संख्या 119/107 सम्बत 3.415 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 प्रमोद कुमार ज्याणी पुत्र श्री रामनारायण को पत्थर नम्बर 105/272 (69) के किला नम्बर 21/0.253, पत्थर नम्बर 105/273 (77) के किला नम्बर 1-10-11 कुल 1.012 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 श्रीभगवान पुत्र श्री रामनारायण को पत्थर नम्बर 107/268 (41) के किला नम्बर 8-9-12-13 कुल 1.012 हैक्टेयर के खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष कृषि भूमि पत्थर नम्बर 107/268 (41) के किला नम्बर 1-2, 3/1 में .126, 10, पत्थर नम्बर 105/273 (77) के किला नम्बर 20 पत्थर नम्बर 104/273 (78) के किला नम्बर 16 कुल 1.391 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण पुत्र श्री जोतराम की यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदि न हो व प्रश्नगत भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की रकम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/




4

गैरखातेदारी / आराजीराज आदि) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। स्वयं के वारिसों कब्जा काश्त हो, न्यायिक विवाद व स्थगन न हो तो उक्त डिक्री की पालना की जावे।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 9-3-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० अवि गर्ग)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
पदेन, सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official